भारत INDIA
पांच रुपये
FIVE RUPEES

भारत INDIA
पांच रुपये
FIVE RUPEES

सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र.

प्र० क्र० ।निगरानी

R 1899-III/2001

अन्तरबाई विधवा भंवरसिंह राजपूत
निवासी काड़ी तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर — आवेदिका

विरुद्ध

नन्हीबाई बेवा लाजुला मुसलमान
निवासी काड़ी तह. मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर — अनावेदक

राजस्व मण्डल
आ. क्र. 370
दिनांक 11-10-01

विषय :- न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन सम्भाग उज्जैन के प्र० क्र० 21/00-01 अपील में आदेश दिनांक 27-6-01 के विरुद्ध धारा 50 म.प्र.भू-रा.सं. के तहत निगरानी प्रस्तुत होकर दि.30-9-01 से 2-10-01 तक अवकाश होने से निगरानी समयावधि में पेश है।

11-10-01

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ... को प्रेषित।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1899–तीन/2001 (अंतरबाई/नन्हीबाई)
जिला–मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01.06.2016	आवेदक पक्ष अनुपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री ए0आर0यादव उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 21–5–2009 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 1–6–2016 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 21–5–09 से 1–6–16 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर व आवेदक को पर्याप्त समय मिलनें के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 1–6–2016 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावष्यक रूप से वर्ष 2001 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । अध्यक्ष	